भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 644

24 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: उच्च मूल्य वाली कृषि वानिकी और बागवानी प्रजातियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पौधारोपण सामग्री की मांग

644. श्रीमती संगीता यादवः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयात कम करने के लिए उच्च मूल्य वाली कृषि वानिकी और बागवानी प्रजातियों के अच्छी गुणवत्ता वाले पौधारोपण सामग्री की बढ़ती मांग का आकलन किया है;

(ख) क्या व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि वानिकी प्रजातियों के प्रमाणित बीजों और पौधारोपण सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए किसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनका बहुत मांग के कारण आयात किया जाता है;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़े क्षेत्र-विशिष्ट कृषि वानिकी क्लस्टर प्रस्तावित हैं; और

(ङ) अगले पांच वर्षों में कृषि वानिकी की खेती को बढ़ाने और बागवानी उत्पादों के आयात को कम करने के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार ने बारहमासी बागवानी फसलों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को चिन्हित किया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंगूर, सिट्रस, आम, अमरूद, अनार, सेब, नाशपाती, लीची और एवोकैडो जैसी बारहमासी फल फसलों की रोगमुक्त, उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने और आयातित रोपण सामग्री पर निर्भरता कम करने के लिए, स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्तमान में, कृषि वानिकी प्रजातियों के लिए ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, 403 कृषि वानिकी नर्सरियों को मान्यता प्राप्त है जो कृषि वानिकी प्रजातियों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री प्रदान करती हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी मान्यता योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्तमान में, एनएचबी के अंतर्गत 804 नर्सरियों को मान्यता प्राप्त है। साथ ही, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के

उद्देश्य से वर्ष 2014-15 से लागू की गई केंद्र प्रायोजित योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत नर्सरियों की स्थापना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन के लिए सहायता भी प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक भारत सरकार ने सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) के तहत कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए "हर मेड़ पर पेड़" के नारे के साथ 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया था। इसके पश्चात, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) की उपलब्धता के माध्यम से वृक्ष आवरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक को वर्ष 2023-24 में प्रारंभ किया गया था। कृषि वानिकी नर्सरियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीएएफआरआई), झांसी के सहयोग से स्वस्थ, रोगमुक्त और जेनेटिकली ट्रेसेबल रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए एक कृषि वानिकी नर्सरी सत्यापन प्रोटोकॉल विकसित किया है।

(ग): पीएम-आरकेवीवाई के कृषि वानिकी घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) में स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आईसीएआर-सीएएफआरआई, झांसी के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): वर्तमान में, प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़े क्षेत्र-विशिष्ट कृषि वानिकी क्लस्टर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): अक्टूबर 2021 में शुरू किए गए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का उद्देश्य एकीकृत, बाजारोन्मुख और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से भारत के बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा देश में बाजारोन्मुख बागवानी क्लस्टर विकसित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

अप्रैल 2025 में जारी संशोधित सीडीपी 2.0 दिशानिर्देशों के तहत, कार्यक्रम एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन, मूल्यवर्धन, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और बाजार संपर्क शामिल हैं। यह किसानों की आय में सुधार, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, कृषि पद्धतियों (जीएपी) को अपनाने को बढ़ावा देने, ट्रेसेबिलिटी और गुणवत्ता प्रमाणन को प्रोत्साहित करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने पर भी बल देता है।

अनुलग्नक

प्रधानमंत्री-आरकेवीवाई के अंतर्गत कृषिवानिकी के संबंध में राज्यवार और वर्षवार निधि आवंटन एवं रिलीज़

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2026-27	
		आवंटन	रिलीज़	आवंटन	रिलीज़	आवंटन	रिलीज़	आवंटन	रिलीज़
1	आंध्र प्रदेश	0.50	0.00	0.50	0.00	9.03	9.03	10.62	5.31
2	बिहार	0.00	0.00	0.5	0.00	3.45	0.23	0.56	0.28
3	छत्तीसगढ़	3.00	2.25	3.00	3.00	3.13	2.82	2.83	1.41
4	गोवा	0.00	0.00	0.50	0.25	1.02	0.56	1.57	0.445
5	गुजरात	11.50	11.50	11	5.48	11.26	11.26	13.22	6.61
6	हरियाणा	1.0	0.00	0.5	0	0.00	0.00	-	-
7	हिमाचल प्रदेश	2.0	0.5	1.5	1.08	1.13	1.02	0.74	0.32
8	झारखंड	3.0	0.00	2.0	0.5	2.40	0.60	1.59	0.80
9	कर्नाटक	12.5	12.49	12	12	10.89	10.88	10.18	5.10
10	केरल	0.5	0.00	0.5	0.31	3.26	1.63	0.86	0.43
11	मध्य प्रदेश	6.15	2.46	2.5	1.83	5.14	4.63	2.60	1.30
12	महाराष्ट्र	4.0	0.00	2.0	1.99	10.68	8.34	7.88	3.94
13	ओडिशा	2.0	1.49	5.00	4.5	9.00	8.50	4.00	2.00
14	पंजाब	0.00	0.00	1.0	0.5	2.82	0.00	-	-
15	राजस्थान	0.31	1.00	1.00	0.70	7.41	1.71	3.00	1.5
16	तमिलनाडु	8.99	8.97	8.00	8.00	4.95	4.95	10.62	5.31
17	तेलंगाना	1.00	0.00	1.00	0.5	5.41	4.87	0.36	0.18
18	उत्तराखंड	1.00	0.00	1.00	0.25	1.24	1.24	1.00	0.50
19	उत्तर प्रदेश	8.96	6.62	6.5	6.5	12.32	9.86	7.72	3.86
20	पश्चिम बंगाल	0.00	1.00	1.00	0.25	0.32	0.32	-	-
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.05	1.50	1.14	5.625	4.48	8.28	4.14
22	असम	2.00	1.59	2.50	2.5	5.20	5.20	4.35	2.175
23	मणिपुर	1.0	0.61	1.0	0.25	1.87	1.22	1.61	0.805
24	मेघालय	2.0	1.0	1.0	0.5	1.45	1.45	1.73	0.86
25	मिजोरम	2.0	1.0	2.0	1.0	3.50	3.38	1.69	0.85
26	नागालैंड	1.28	1.7	1.0	1.0	7.50	5.65	-	-
27	सिक्किम	0.00	2.25	1.0	0.73	2.40	2.22	0.55	0.275
28	त्रिपुरा	0.00	0	1.0	0.5	1.36	0.68	2.11	1.06
29	लद्दाख	1.21	0.3	1.0	0.25	0.37	0.0396	0.20	0.05
30	जम्मू एवं कश्मीर	3.0	1.32	2.5	1.25	0.93	0.93	1.35	0.68
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.32	0.16	0.16	0.10	-	-
कुल		**78.90**	**58.10**	**75.82**	**56.92**	**135.225**	**107.80**	**101.22**	**50.19**
